

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 12/05/2023

रीडर/2023/1843

अप्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

खेमाराम 2 आसुराम
पिसरान वीराराम 3
पेमीदेवी पत्नी वीराराम
जाति सुथार निवासी
आसुओं की ढाणी, सांजटा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

1 सवाईराम पुत्र रामाराम 2 सवाईराम पुत्र चान्दराम जाति कुम्हार 3 कोजाराम पुत्र राऊराम 4 देवीराम पुत्र पोकराराम 5 भीखीदेवी पत्नी पोकराराम 6 गेनाराम 7 गोसाईराम 8 जोगाराम 9 दुर्गाराम 10 देवाराम पिसरान पूंजाराम 11 गजूदेवी पत्नी पूंजाराम 12 राणाराम पुत्र कलाराम जाति कुम्हार निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 13 ग्राम पंचायत मोतीयाणियों का तला 14 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक- 12/04/23


राजस्व आवेदन संख्या :- 346/2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व

खसरा संख्या 585/322 रकबा 24.10


जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 585/322 रकबा 24.10
बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर
ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व अप्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल
पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/-
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 12/05/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1844-1847
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेमाराम पुत्र वीराराम जाति सुथार निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सवाईराम पुत्र रामाराम वगैरह जाति सुथार निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर